न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 06 / 2010

प्रार्थी:—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1 पन्नालाल सोनी पुत्र केशरीमल सोनी निवासी सुभाष मार्ग, सोजतरोड तहसील सोजत		1 भंवरीदेवी पत्नि सोहनलाल जाति वैष्णव निवासी सोजतरोड 2 ग्राम पंचायत सोजतरोड जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :—

1. श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

—: निर्णय :—

दिनांक 19.2.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत सोजतरोड द्वारा मिसल संख्या 225 / 1983—1984 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 14.02.1984 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 106 दिनांक 11.04.1986 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत सोजतरोड के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने कब्जासुदा, पट्टासुदा प्लोट के पास सिसरवादा के रास्ते वाली प्याऊ वाली गली में रास्ता गुजरता है। जिसके पास कुछ खालसा भूमि पडी है। उक्त भूमि का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर न तो कोई नाप चौक अथवा सीमा अंकित है, न ही मौके की स्थिति, अडौप पडौस आदि अंकित है। इस प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गई तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों को मनोनीत करने का आदेश पारित किया, किन्तु वार्ड पंचो का नाम भी अंकित नही किया। अप्रार्थी द्वारा अपने हितेषी वार्ड पंचो से विधि विरूद्ध तरीके से रिपोर्ट तैयार करवाई। ग्राम पंचायत द्वारा जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है, वह विधि अनुसार नही है। आपत्ति इश्तिहार कब व किसके समक्ष चस्पा किया गया, अंकित नही है तथा ही स्पष्ट है। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जी तरीके से की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस नाप का पट्टा जारी किया गया है, उसके लिये ग्राम पंचायत सक्षम नही है। इस क्षैत्रफल का पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत समिति से आज्ञा ली जानी कानूनन लाजमी है। ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया है, उसमें न तो कोरम पूर्ण था एवं न ही नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना की है। जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया, उसके पडौसियों को न तो सुना गया तथा न ही किसी के बयान कलमबद्ध किये गये। पत्रावली में जो नक्शा तैयार किया गया, उस पर कोई दिनांक अंकित नही है तथा न ही नक्शा तैयार करने वाले का नाम, हस्ताक्षर आदि अंकित है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उस पर भी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार बिना हस्ताक्षर के प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, उस पर प्रार्थी का कब्जा है तथा प्रार्थी उसका वक्त खरीद से उपयोग करता आ रहा है तथा प्रार्थी के पूर्व उक्त भूमि के बेचानकर्ता का इस भूमि पर कब्जा था। ग्राम पंचायत द्वारा बिना प्रार्थी को सुने, उसके उपयोग उपभोग, कब्जे को नजर अन्दाज कर बिना मौके की जानकारी प्राप्त किये, जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जिन आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी थी, उनको नजर अन्दाज करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो आरम्भ से ही शून्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रथमतः तो प्रार्थी इस प्रकरण में किसी भी रूप में हितबद्ध नही है, इस कारण प्रार्थी को यह निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार ही नही है। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह वर्ष 1983 में जारी किया गया है, इसके 27 वर्ष पश्चात निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह किसी भी रूप में आम रास्ते की भूमि नही है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा होने के कारण खांचा भूमि आवंटन के रूप में मिसल कायम करते हुए विधिवत कार्यवाही अपनाते हुए अप्रार्थी के नाम पट्टा जारी किया गया है। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही की गई है तथा निर्धारित राशि जमा करवाने पर अप्रार्थी के नाम से पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक अनियमितता नही है। इसके अतिरिक्त जिस रास्ते का जिक्र प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी याचिका में किया गया है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति के उपयोग उपभोग में नही आता है। उक्त भूमि खालसा के रूप में मौके पर थी, जिसका उपयोग उपभोग अप्रार्थी द्वारा किया जाता रहा, जिसके कारण अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत मिसल कायम कर, सचिव द्वारा नक्शा मौका तैयार करने पर तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया तथा उक्त वार्ड पंचों द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अन्तरित आदेश जारी कर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जो मौके पर चस्पा किया गया। किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नही करने पर नियम 266 के तहत आपसी बातचीत से उक्त भूमि कीमतन अप्रार्थी को प्रदान की गई है, जिसकी राशि अप्रार्थी द्वारा पंचायत में जमा करवाई गई तथा उसके पश्चात जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टा जारी किया गया है। उक्त सम्पूर्ण भूमि पूर्व में बाली ठाकुर की थी, तत्समय तैयार किये गये नक्शे में भी उक्त भूमि रास्ते के रूप में उपलब्ध न होकर खालसा भूमि के रूप में दर्शित है। जो कालान्तर में पंचायत में निहित हो चुकी थी, जिसके निस्तारण हेतु पंचायत सक्षम थी तथा पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। अतः निगरानी खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत सोजतरोड द्वारा मिसल संख्या 225/1983–1984 में पारित प्रस्ताव संख्या 2

अति. जिला कलेक्टर, पाली

दिनांक 14.02.1984 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 106 दिनांक 11.04.1986 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से बी0 केशवदास ने सरपंच ग्राम पंचायत सोजतरोड के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी कब्जासुदा पट्टासुदा भूमि के पास पडी अपनी कब्जासुदा खालसा भूमि का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। इस पर दिनांक 16.05.1983 को नक्शा फीस व आवेदन शुल्क जमा करवाया गया। इसके पश्चात दिनांक 03.08.1983 को मिसल कायम कर नक्शा बनाने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात दिनांक 14.02.1984 को भूमि विक्रय की राशि 990 रूपये जमा होने पर पट्टा बनाने के आदेश पारित किये गये। जैर निगरानी पट्टे की मिसल में नक्शा किसके द्वारा बनाया गया, उसके हस्ताक्षर नही है, इसके अतिरिक्त वार्ड पंचो को मनोनीत किये जाने का आदेश ही नही था, इसके बावजूद बिना किसी आदेश के वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट मिसल के संलग्न की गई। बिना किसी आदेश के आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया तथा इसके पश्चात जैर निगरानी पट्टा बनाने के आदेश पारित किये गये।

राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में आबादी भूमि की बिक्री के प्रावधान वर्णित है। जिसके तहत नियम 256 (1) के तहत इच्छुक व्यक्ति द्वारा क्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं (2) के तहत आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा। नियम 256 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जाना। इसके पश्चात नियम 258 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा अपने पंचों में से किन्ही तीन पंचों को वांछित स्थल के निरीक्षण हेतु मनोनीत करती है, जो पंच अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते है। पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियम 259 के तहत पंचायत बैठक में प्रस्तावित भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में पंचायत अस्थाई रूप से निर्णय पारित करेगी। इसके पश्चात नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में एक माह का आपत्ति आमन्त्रित करेगी। इसके पश्चात नियम 261 के तहत आपत्तियों का निस्तारण किये जाने तथा नियम 262 के तहत भूमि के नीलामी के प्रावधान है। इसके पश्चात नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनर्विक्रय के प्रावधान वर्णित है। नियम 264 में नीलामी की प्रक्रिया तथा नियम 265 में नीलाम की पुष्टि प्रावधित है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान है। नियम 267 में भूमियों का निःशुल्क आवंटन तथा नियम 267 (क) के तहत विस्थापितों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के नियम प्रावधित है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्व–प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी। हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायत

(सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में विहित प्रक्रिया की पालना नही की गई है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को किसी भी रूप में न्यायोचित नही माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सोजतरोड द्वारा मिसल संख्या 225/1983–1984 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 14.02.1984 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा संख्या 106 दिनांक 11.04.1986 को अपास्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत सोजतरोड को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, मौका, कब्जा एवं अन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 19.2.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली